अनुदान संख्या 35 – राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण
GRANT No. 35–TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*14955,11,00*	*10637,55,62*	*–4317,55,38*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*4317,55,00*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	26184,64,00	26555,64,00	26140,06,27	–415,57,73
पूरक	Supplementary	371,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				415,61,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*25196,92,00*	*25696,92,00*	*24746,27,15*	*–950,64,85*
पूरक	*Supplementary*	*500,00,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*952,64,90*

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (*प्रभारित*)	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments *(Charged)*				
मू.	*O.*	*1495511.00*	*1063756.00*	*1063755.62*	*–0.38*
पु.	*R.*	*–431755.00*			

(I) *"योजनेतर अनुदान - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अधीन अनुदान (प्रभारित)''* के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) *"सेवाओं के उन्नयन और विशेष समस्याओं के लिए अनुदान''- 135472.37 लाख* रु. की बचत (*215530.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) राज्य स्तरीय अधिकारप्राप्त समिति से विधिवत अनुमोदित कार्य योजनाएं और राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) *"राजस्व लेखों की हानि की पूर्ति के लिए अनुदान''- 176142.00 लाख* रु. की बचत (*754118.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) इस कारण से हुई कि बजट प्रावधान ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत 100 प्रतिशत राजस्व घाटा अनुदान के लिए किया गया था जबकि यह केवल 85 प्रतिशत राशि के लिए किया जाना था क्योंकि शेष 15 प्रतिशत राशि राजकोषीय सुधार सुविधा के अंतर्गत प्रोत्साहन निधि का भाग बनना था। तदनुसार, बजट अनुमान का 15 प्रतिशत प्रोत्साहन निधि को अंतरित कर दिया गया था। चूंकि राजस्व घाटे में निर्दिष्ट सुधार होने पर राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहन निधि को जारी किया जाता है अत: पूरी राशि जारी नहीं की जा सकी जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई।

(गा) *"स्थानीय निकायों को अनुदान''- 40225.38 लाख* रु. की बचत (*200000.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) स्थानीय निकायों को दिए गए अनुदानों से संबंधित उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने, राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाने से संबंधित सूचना समय पर प्रस्तुत न किए जाने और चयनित स्थानीय निकायों को पूर्व में जारी किए गए अनुदान पारित न किए जाने के कारण हुई।

(घा) *"प्रोत्साहन निधियों को केन्द्र का अंशदान''- 104557.88 लाख* रु. की बचत (*183771.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) इस कारण से हुई कि प्रोत्साहन निधि में राजस्व घाटा अनुदान के बजट अनुमान का 15 प्रतिशत शामिल है और जारी की गई राशि मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार राज्य के वास्तविक/प्रत्यक्ष निष्पादन पर आधारित थी। कुछ राज्य सरकारें अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं कर सकी थीं।

(I) Under *"Non-Plan Grants-Grants under the Proviso to Article 275(1) of the Constitution (Charged)"*- savings occurred under the following heads:-

(A) *"Grants for upgradation of Services and special problems"*-saving of *Rs.135472.37 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.215530.00 lakhs*) was due to non-receipt of action plans duly approved by State Level Empowerment Committee and utilisation certificates from the State Governments.

(B) *"Grants to cover deficits on Revenue Accounts"*- saving of *Rs.176142.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.754118.00 lakhs*) was due to the reason that the budget provision was made for 100 percent revenue deficit grant recommended by Eleventh Finance Commission whereas it was required to be made for only 85 percent of amount as remaining 15 percent was to form part of Incentive Fund under fiscal reform facility. Accordingly 15 percent of budget estimates was transferred to Incentive Fund. As incentive is released upon stipulated improvement in revenue deficit by the State Governments, full amount could not be released, resulting into saving.

(C) *"Grants for Local Bodies"* saving of *Rs.40225.38 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.200000.00 lakhs*) was due to non-receipt of utilisation certificates of grants to local bodies, non-furnishing of information regarding holding of local bodies elections by States in time and non-passing on the grants released earlier to the elected local bodies.

(D) "Centre's Contributions to Incentive Funds" – saving of *Rs.104557.88 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.183771.00 lakhs*) was due to the reason that the Incentive Funds includes 15 percent of budget estimates of Revenue Deficit Grant and the release was based on actual/physical performance of State as per guidelines. Some State Governments could not furnish the requisite information.

2. उपर्युक्त बचतें *"योजनेतर अनुदान - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अधीन अनुदान (प्रभारित) - आपदा राहत निधि को अंशदान''* के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गई - *24642.25 लाख* रु. का अधिक व्यय (*142092.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) जिन राज्य सरकारों ने सभी शर्तें पूरी कर दी थीं उन्हें पिछले वर्षों की बकाया राशि जारी किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (41557.73 लाख रु.) अगस्त, 2003 और दिसम्बर, 2003 में प्राप्त किए गए 37100.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (41561.00 लाख रु.) भी कुल बचत से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

2. The above savings were partly offset by excess under *"Non-Plan Grants - Grants under the Proviso to Article 275(1) of the Constitution (Charged) - Contribution to Calamity Relief Fund"* - excess of *Rs.24642.25 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.142092.00 lakhs*) was due to release of arrears of previous years to the State Governments who had fulfilled all conditions.

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.41557.73 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.37100.00 lakhs obtained in August, 2003 and December, 2003 and constituted 2 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (Rs.41561.00 lakhs) also exceeded the overall savings.

Savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
मुख्य शीर्ष ''2245'' प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	Major Head "2245" Relief on Account of Natural Calamities					
मू.	O.	360000.00		318742.00	318742.40	+0.40
पु.	R.	–41258.00				
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	2220964.00				
पू.	S.	37100.00		2257761.00	2257763.87	+2.87
पु.	R.	–303.00				

(I) 230000.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "3601'' - "योजनेतर अनुदान'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) "अन्य प्रशासनिक सेवाएं - केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अदायगियां - मूल्य संवर्धित कर स्कीम लागू किए जाने के परिणामस्वरूप होने वाले राजस्व हानियों के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति''- 70000.00 लाख रु. भारत सरकार की नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान मूल्य संवर्धित कर स्कीम लागू न किए जाने के कारण थे।

(खा) "प्राकृतिक विपत्ति आकस्मिकता निधि से राज्यों को राष्ट्रीय विपत्ति सहायता के कारण सामान्य राहत - गंभीर स्वरूप की विपत्तियों के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता''- 160000.00 लाख रु. इस कारण थे कि राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिकता निधि के गठन और प्रशासन संबंधी संशोधित स्कीम के अनुसार राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिकता निधि के अंतर्गत राज्यों को मुख्य शीर्ष " 3601'' के अंतर्गत निधि जारी नहीं की जा सकती।

(II) मुख्य शीर्ष "3601'' - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता'' के अंतर्गत पूरक अनुदान प्राप्त करके 600.00 लाख रु. की निधियां उपलब्ध कराई गई थीं तथापि, जो वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान "मरु गोचर योजना'' की केन्द्रीय सहायता, जोकि प्रारम्भ में भू-संसाधन विभाग, शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत दी गई थी, को वित्त मंत्रालय को अंतरित किए जाने के कारण 141.06 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं। जारी की जाने वाली निधियां शहरी विकास मंत्रालय की सिफारिश पर आधारित थीं।

(III) मुख्य शीर्ष "2245'' - "सामान्य - आरक्षित निधियों और जमा लेखे को अंतरण - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण'' के अंतर्गत 200000.00 लाख रु. की बचत (360000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस कारण से हुई कि राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के अंतर्गत निधियों का अंतरण राज्यों में गंभीर स्वरूप की आपदा के लिए वास्तविक आवश्यकता पर आधारित होता है।

(I) Provision of Rs.230000.00 lakhs remained wholly unutilised under Major Head "3601"- "Non-Plan Grants" - under the following heads:-

(A) "Other Administrative Services - Payments to States/Union Territories for Administration of Central Acts & Regulations - Compensation to States for Revenue losses due to Introduction of VAT" - Rs.70000.00 lakhs - due to non-introduction of VAT Scheme during the financial year 2003-04 as per Government of India policy.

(B) "General Relief on Account of National Calamity Assistance to States from Natural Calamity Contingency Fund - Assistance to States from NCCF for calamities of severe nature" - Rs.160000.00 lakhs - due to the reason that as per revised scheme for constitution and administration of National Calamity Contingency Fund, the fund to States under National Calamity Contingency Fund cannot be released under Major Head "3601".

(II) Under Major Head "3601" - "Grants for State Plan Schemes - Block Grants - Additional Central Assistance for Other Projects" - funds of Rs.600.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.141.06 lakhs - due to transfer of Central Assistance of "Maru Gochar Yojana" initially made under Department of Land Resources, Ministry of Urban Development to Ministry of Finance during the financial year 2003-04. The releases were based on the recommendation of Ministry of Urban Development.

(III) Under Major Head "2245"- "General - Transfer to the Reserve Funds and Deposit Account - Transfer to National Calamity Contingency Fund"- saving of Rs.200000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.360000.00 lakhs) was due to the reason that the transfer of funds under National Calamity Contingency Fund is based on the actual requirement for calamity of severe nature in the States.

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''सामान्य केन्द्रीय सहायता''- 110007.51 लाख रु. की बचत (1101724.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना की उपलब्धि में गिरावट आने पर केन्द्रीय सहायता में कटौती किए जाने, वर्ष 1995-96 में समाप्त हुई अवधि से संबंधित लेखापरीक्षित व्यय प्रस्तुत न किए जाने के कारण एक प्रतिशत केन्द्रीय सहायता रोक लिए जाने और वास्तविक/प्रत्याशित योजना व्यय प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''विशेष केन्द्रीय सहायता - पर्वतीय क्षेत्र''- 119.88 लाख रु. की बचत (14400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) ''विशेष केन्द्रीय सहायता सीमावर्ती क्षेत्र''- 362.00 लाख रु. की बचत (26000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें इस कारण से हुईं कि पर्वतीय/सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत अनुदान योजना आयोग की सिफारिश पर जारी किए जाते हैं जो राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यय/उपयोग प्रमाण पत्रों पर आधारित होते हैं, कुछ राज्य अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहे थे।

(घा) ''गंदी बस्ती विकास''- 1033.67 लाख रु. की बचत (11600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों के पास पिछले वर्षों की अप्रयुक्त राशि उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(ङ) ''ग्रामोदय योजना के अन्य कार्यक्रम''- 5522.00 लाख रु. की बचत (135500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(चा) ''अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम''- 7760.21 लाख रु. की बचत (67600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(छा) ''शहरी अवसंरचना सुदृढ़ीकरण के लिए पहल''- 32163.50 लाख रु. की बचत (50000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(IV) Under Major Head "3601" - "Grants for State Plan Schemes - Block Grants" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Normal Central Assistance"- saving of Rs.110007.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1101724.00 lakhs) was due to cut in Central Assistance on account of shortfall in achievement of plan, withholding of one percent Central Assistance for non-submission of audited expenditure figures for the period ending 1995-96 and non-submission of actuals/anticipated plan expenditure.

(B) "Special Central Assistance –Hill Areas"- saving of Rs.119.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14400.00 lakhs); and

(C) "Special Central Assistance Border Areas"- saving of Rs.362.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 26000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to the reason that the grants under Central Assistance for Hill/Border Areas are released on the recommendation of Planning Commission based on the expenditure/utilisation certificates submitted by the States; some States failed to submit the requisite information.

(D) "Slum Development"- saving of Rs.1033.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.11600.00 lakhs) was due to availability of unutilised amount of previous years with States.

(E) "Other Programme of Gramodaya Yojana"- saving of Rs.5522.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.135500.00 lakhs);

(F) "National Social Assistance Programme including Anapurna"- saving of Rs.7760.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 67600.00 lakhs);

(G) "Initiative for Strengthening Urban Infrastructure"- saving of Rs.32163.50 (against the sanctioned provision of Rs.50000.00 lakhs);

(जा) "विकास और सुधार सुविधा राष्ट्रीय सम विकास योजना''- 37674.60 लाख रु. की बचत (145000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(झा) "किशोर बालिकाओं के लिए पोषण कार्यक्रम''- 10136.00 लाख रु. की बचत (14140.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें कुछ राज्य सरकारों द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांतों में निर्दिष्ट अपेक्षित शर्तें पूरी न किए जाने की वजह से पूरी राशि जारी न किए जाने के कारण हुईं।

4. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष "2245'' - "सामान्य - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता - गंभीर स्वरूप की आपदा के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता''- 158742.40 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) इस कारण से हुआ कि प्रारम्भ में प्रावधान मुख्य शीर्ष "3601'' के अंतर्गत किया गया था जिसका प्रचालन राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के अंतर्गत राज्यों को निधि जारी करने के लिए नहीं किया जा सका; राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के अंतर्गत राज्यों को सहायता के लिए व्यय की आवश्यकता बजट के पश्चात लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप मुख्य शीर्ष "2245'' के अंतर्गत उपलब्ध बचतों से पूरी की गई थी।

(II) मुख्य शीर्ष "3601' - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत:-

(का) "बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता''- 157085.01 लाख रु. का अधिक व्यय (222000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस कारण से हुआ कि जारी की जाने वाली राशि बाहरी अभिकरणों से प्राप्त हुई प्रतिपूर्तियों पर आधारित थी। अतिरिक्त राशि की सिफारिश वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अंत में की गई थी।

(खा) "विशेष केन्द्रीय सहायता''- 82769.40 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(H) "Development and Reform Facility Rashtriya Sam Vikas Yojana (RSVY)"- saving of Rs.37674.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.145000.00 lakhs); and

(I) "Nutrition Programme for Adolescent Girls (NPAG)" - saving of Rs.10136.00 lakhs (against the sanctioned provision Rs.14140.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to non-release of full amount owing to non-fulfillment of requisite conditions as laid down in the guidelines by some State Governments.

4. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "2245"-"General- Assistance to States from National Calamity Contingency Fund - Assistance to States from National Calamity Contingency Fund for calamity of severe nature" - excess of Rs.158742.40 lakhs (against nil provision) was due to the reason that initially provision was made under the Major Head "3601" which cannot be operated for releasing the fund to States under National Calamity Contingency Fund; the requirement of expenditure for assistance to States under National Calamity Contingency Fund was met out from the savings available under Major Head "2245" as a result of post budget decision.

(II) Major Head "3601" - "Grants for State Plan Schemes - Block Grants" – under the following heads:-

(A) "Additional Central Assistance for Externally aided Projects"- excess of Rs.157085.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.222000.00 lakhs) was due to the reason that the release was based on the reimbursements received from external agencies. Excess release was recommended at the fag end of the financial year.

(B) "Special Central Assistance"-excess of Rs.82769.40 lakhs (against nil provision); and

(गा) ''विशेष योजना सहायता''- 34470.00 लाख रु. का अधिक व्यय (63000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय कुछ राज्यों को बजट अनुमान 2003-04 में किए गए प्रावधान के अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किए जाने के कारण हुआ।

(घा) ''अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता''- 113714.49 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) राज्य योजना 2003-04 के लिए योजना आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को अतिरिक्त सहायता अधिक जारी किए जाने के कारण हुआ।

(ङ) ''त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम''- 46581.40 लाख रु. का अधिक व्यय (140000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्तीय वर्ष के अंत में विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों पर प्रोत्साहन स्कीम (100%) के अंतर्गत राज्य सरकारों को अधिक राशि जारी किए जाने के कारण हुआ।

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*95064.85 लाख रु.*) दिसम्बर, 2003 में प्राप्त किए गए *50000.00 लाख* रु. के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गई और यह कुल स्वीकृत *विनियोग* का 4 प्रतिशत थी। अभ्यर्पित राशि (*95264.90 लाख रु.*) भी कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

(C) "Special Plan Assistance"- excess of Rs.34470.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.63000.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to release of Special Central Assistance to some States over and above the provision made in budget estimates 2003-04 with the approval of Competent Authority.

(D) "Additional Central Assistance"- excess of Rs.113714.49 lakhs (against nil provision) was due to more release of Additional Assistance to the State Governments on the basis of recommendations of Planning Commission for State Plan 2003-04.

(E) "Accelerated Power Development Programme (APDP)"- excess of Rs.46581.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.140000.00 lakhs) was due to more release to the State Governments under Incentive Scheme (100%) on the recommendations of Ministry of Power at the end of financial year.

5. In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings *(Rs.95064.85 lakhs)* exceeded the supplementary *appropriation* of *Rs.50000.00 lakhs* obtained in December, 2003 and constituted 4 percent of the total sanctioned *appropriation*. The amount surrendered *(Rs.95264.90 lakhs*) also exceeded the overall savings.

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
मुख्य शीर्ष ''7601'' *राज्य सरकारों को कर्ज तथा अग्रिम (प्रभारित)*	Major Head "7601" *Loans and Advances to State Governments (Charged)*				
मू.	*O.*	*2519692.00*			
पू.	*S.*	*50000.00*	*2474427.10*	*2474627.15*	*+200.05*
पु.	*R.*	*–95264.90*			

(I) *"अर्थोपाय अग्रिम - अन्य अर्थोपाय अग्रिम"* के अंतर्गत *200000.00 लाख रु.* के मूल *विनियोग* को *50000.00 लाख रु.* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *250000.00 लाख रु.* कर दिया गया जो, यद्यपि, राज्य सरकारों द्वारा अग्रिमों के लिए अनुरोध न किए जाने के कारण *42000.00 लाख रु.* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) *"राज्य योजना स्कीमों के लिए कर्ज - एकमुश्त कर्ज"* के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) *"सामान्य केन्द्रीय सहायता"- 166172.91 लाख रु.* की बचत (*1146692.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) योजना की उपलब्धि में गिरावट आने पर केन्द्रीय सहायता में कटौती किए जाने, वर्ष 1995-96 में समाप्त हुई अवधि से संबंधित लेखापरीक्षित व्यय प्रस्तुत न किए जाने के कारण एक प्रतिशत केन्द्रीय सहायता रोक लिए जाने, वास्तविक/प्रत्याशित योजना व्यय प्रस्तुत न किए जाने और योजना आयोग द्वारा संशोधित परिव्यय को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(खा) *"गंदी बस्ती विकास"- 1652.43 लाख रु.* की बचत (*22500.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) राज्य सरकारों के पास पूर्व में जारी की गई राशि में से अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने की वजह से शहरी विकास मंत्रालय से कम सिफारिशें प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) *"ग्रामोदय योजना के अन्य कार्यक्रम"- 3880.00 लाख रु.* की बचत (*141100.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई; और

(घा) *"त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम"- 110600.90 लाख रु.* की बचत (*210000.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कुछ राज्य सरकारों द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांतों में निर्दिष्ट अपेक्षित शर्तें पूरी न किए जाने की वजह से पूरी राशि जारी न किए जाने के कारण हुईं।

6. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) Under *"Ways and Means Advances - Other Ways and Means Advances"* - the original *appropriation* of *Rs.200000.00 lakhs* was augmented to *Rs.250000.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.50000.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *Rs.42000.00 lakhs* - due to State Governments not coming forward with their requests for advances.

(II) Under *"Loans for State Plan Schemes- Block Loans"*- savings occurred under the following heads:-

(A) *"Normal Central Assistance"*- saving of *Rs.166172.91 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.1146692.00 lakhs*) was due to cut in central assistance on account of shortfall in achievement of plan, withholding of 1 percent central assistance for non-submission of audited expenditure for the period ending 1995-96, non-submission of actuals/anticipated plan expenditure and non-approval of revised outlay by the Planning Commission.

(B) *"Slum Development"*- saving of *Rs.1652.43 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.22500.00 lakhs*) was due to receipt of less recommendations from the Ministry of Urban Development owing to availability of unspent balance of earlier releases with State Governments.

(C) *"Other Programme of Gramodaya Yojana"*- saving of Rs.*3880.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.141100.00 lakhs*); and

(D) *"Accelerated Power Development Programme (APDRP)"*- saving of *Rs.110600.90 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.210000.00 lakhs*).

Savings under the above two heads were due to non-release of full amount owing to non-fulfillment of requisite conditions as laid down in the guidelines by some State Governments.

6. The above savings were partly offset by excess under the following heads:-

(का) *"योजनेतर स्कीमों के लिए कर्ज - संसाधनों के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए कर्ज - राज्य सरकारों को मध्यम अवधि के कर्ज"- 200.00 लाख रु.* का अधिक व्यय (*शून्य विनियोग* की तुलना में) स्वर्ण मंदिर के विकास के लिए गलियारा परियोजना के संबंध में विशेष अवधि का योजनेतर कर्ज जारी किए जाने के कारण हुआ।

(A) *"Loans for Non-Plan Schemes - Loans to Cover Gaps in Resources - Medium Term Loans to State Governments"* - excess of *Rs.200.00 lakhs* (against *nil appropriation*) was due to release of a Special Term Non-Plan loan for Galiara Project for development of Golden Temple.

(खा) *"राज्य योजना स्कीमों के लिए कर्ज - एकमुश्त कर्ज"*-

(क) *"बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता"- 102554.21 लाख रु.* का अधिक व्यय (*450800.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) इस तथ्य के कारण हुआ कि जारी की गई राशि संबंधित अभिकरणों से प्राप्त प्रतिपूर्ति पर आधारित थी । अतिरिक्त राशि जारी किए जाने की सिफारिश वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अंत में की गई थी।

(ख) *"विशेष केन्द्रीय सहायता"- 9196.60 लाख रु.* का अधिक व्यय (*शून्य विनियोग* की तुलना में) हुआ; और

(ग) *"विशेष योजना सहायता"- 3830.00 लाख रु.* का अधिक व्यय (*7000.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय इस कारण से हुआ कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वर्ष 2003-04 के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि कुछ राज्यों को बजट अनुमान 2003-04 में किए गए प्रावधान के अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता जारी की जाए।

(घ) *"त्वरित सिंचाई हितलाभ कार्यक्रम"- 32850.09 लाख रु.* का अधिक व्यय (*280000.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) जल संसाधन मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को अधिक निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।

(ङ) *"अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता"- 80625.49 लाख रु.* का अधिक व्यय (*शून्य विनियोग* की तुलना में) राज्य योजना 2003-04 के लिए योजना आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी किए जाने के कारण हुआ।

(B) *"Loans for State Plan Schemes - Block Loans"* -

(a) *"Additional Central Assistance for Externally aided Projects"*- excess of *Rs.102554.21 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.450800.00 lakhs*) was due to the fact that release was based on the reimbursement received from the concerned agencies. Excess release was recommended at the fag end of the financial year.

(b) *"Special Central Assistance"*- excess of *Rs.9196.60 lakhs* (against *nil appropriation)*; and

(c) *"Special Plan Assistance"*- excess of *Rs.3830.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.7000.00 lakhs*).

Excess under the above two heads was due to the reason that it was decided during the year 2003-04 with the approval of the competent authority to release Special Central Assistance to some of the States over and above the provision made in budget estimates 2003-04.

(d) *"Accelerated Irrigation Benefit Programme"*- excess of *Rs.32850.09 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.280000.00 lakhs*) was due to more release of funds to the State Governments on the basis of recommendations of Ministry of Water Resources.

(e) *"Additional Central Assistance"*- excess of *Rs.80625.49 lakhs* (against *nil appropriation*) was due to release of additional Central Assistance to the State Governments on the basis of recommen-dations of Planning Commission for State Plan 2003-04.